

डिग्रेड 20-5-25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी  
वामनवास

20<sup>5</sup>/<sub>25</sub> वकील वाडी उपप/ पत्रावली वरते जवाब/ वरस  
जा. पत्र हेतु डिग्रेड 30-5-25 को पेश हो

30<sup>5</sup>/<sub>25</sub>

उपखण्ड अधिकारी  
वामनवास

उपखण्ड जगसिवात। P.O. सभ  
अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/ अवकाश प  
है/ का पद रिक्त है। पत्रावली गत/ आदेशानुसार  
दिनांक 12/06/25 को पेश हो

Rank

रीडर

12<sup>6</sup>/<sub>25</sub> पत्रावली पेश हुई। वकील वाडी उपप. नवी है  
जवाब/ वरस हेतु अंतिम उत्तर दिया गया।  
पत्रावली वरते जवाब/ वरस हेतु डिग्रेड  
16-6-25 को पेश हो


उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
वामनवास

16<sup>6</sup>/<sub>25</sub> वकील वाडी उपप/ पत्रावली में जवाब हेतु  
अंतिम उत्तर दिया गया/ अन्यथा एक  
परीय कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली  
वरते जवाब/ वरस जा. पत्र 07R11 CPL  
हेतु डिग्रेड 18-6-25 को पेश हो

18<sup>6</sup>/<sub>25</sub> वकील वाडी उपप/ पत्रावली वरते जवाब  
जा. पत्र डिग्रेड 20-6-25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी  
वामनवास

20<sup>6</sup>/<sub>25</sub> पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पत्र उपप  
वकील वाडी द्वारा जा. पत्र 07R11 CPL  
का जवाब पेश किया गया/ वरस  
वकील उभय पत्र की सुनी गई। पत्रा

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>का अवलोकन किया गया / वकील वाडी ने रियाई निषेधज्ञा का दावा पेश कर विभाजन को पेश से अंती किया गया है। जबकि दावे की रिक्विज में विभाजन का अंतिम नहीं किया गया। जिसके कारण वाडी का दावा मेन दीवल नहीं होने के कारण वाडी का दावा इसी स्टेप पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल अर्थात छेकर वाड लखमिल दफ्तर दाखिल की जावे।</p> <p style="text-align: right;">   उपखण्ड अधिकारी  वामनवास </p>	